न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 150/2015/अपील

मांगीलाल पुत्र सुवालाल जाति खटीक निवासी वार्ड न. 5 खण्डेला जिला सीकर राजस्थान

अपीलान्ट

बनाम

1.उप तहसीलदार, तहसील कार्यालय खण्डेला जिला सीकर राज.
2. राज्य सरकार जरीये जिला कलेक्टर, कलेक्ट्रेट परिसर, सीकर राज0

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामन्तकरण संख्या 1016 आदेश दिनांक 28.08.09 उपतहसीलदार खण्डेला जिला सीकर

वकील अपीलांट श्री विनोद कुमार सरोज

निर्णय दिनांकः—13.03.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की भूमि खसरा नं. 2287, 2297, 2298 कुल किता 3 कुल रकबा 0.52 है0 ग्राम खण्डेला में अवस्थित है। अपीलान्ट का कब्जा उक्त भूमि में कदीमी से चला आ रहा है। अपीलान्ट की उक्त कब्जेशुदा भूमि का नामान्तकरण दिनांक 28.08.2009 को तहसील भवन खण्डेला के नाम पूर्णतया गलत तस्दीक कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि में बाजरा मोठ की फसल भी करता आ रहा है। खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2049 में भी काश्तकार के नाम पर अपीलान्ट का नाम अंकित किया जाकर बाजरा मोठ की फसल उक्त खसरा नं. 2298 में संवत 2046, 2048 में किया जाना अंकित कर तैयार की गई है। इस प्रकार उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त होने के बावजुद गलत रूप से नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व बिना कोई जांच किये एवं मौके की स्थिति के बारे में जांच किये बिना ही उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। मौके पर अपीलान्ट का कब्जा होने एवं पत्थरों का चारों तरफ उक्त भूमि के पारा लगा होने के बावजूद जांच अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त नामान्तकरण विधिविरूद्व तरीके से तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट का आज भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त नामान्तरण खोले जाने से पूर्व विवादित खसरा नम्बर के कब्जे की जांच हल्का पटवारी से नहीं करवायी गयी। नामान्तकरण केवल मात्र जिला कलेक्टर सीकर के आवंटन आदेश की पालना में उपतहसीलदार खण्डेला द्वारा उक्त आदेश के आधार पर ही खोले जाने का उल्लेख कर तस्दीक किया गया है। रेस्पों. द्वारा तहसील भवन खण्डेला के कार्यालय एवं आवास हेतु आवंटित की गई उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त होने के कारण उक्त स्थान पर तहसील भवन का निर्माण नहीं किया जाकर उस स्थान से 4 किलोमीटर दूर तहसील भवन का निर्माण पूर्ण किया गया है। इस प्रकार उक्त तथ्य से भी अपीलान्ट का कब्जा उक्त भूमि पर होना पुर्णतया साबित है। रेस्पों0 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं होने के कारण उक्त नामान्तकरण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 1016 दिनांक

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट विवादित भूमि पर वर्षों से काबिज चला आ रहा है एवं काश्त करता है। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन से उक्त विवादित भूमि की किस्म बंजड सिवायचक भूमि दर्ज है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के सम्बंध में अपीलांट के पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अपीलाधीन नामान्तकरण श्रीमान् जिला कलक्टर, सीकर के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट के कथन अनुसार केवल मात्र कब्जे के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण के माध्यम से अपीलांट को राहत प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। विवादित भूमि के कब्जे के आधार पर अगर अपीलांट खातेदारी प्राप्त करना चाहता हो तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/3/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official